

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

दिव्यांग व्यक्तियों में निवेश:
समावेशन का आह्वान

www.nextias.com

दिव्यांग व्यक्तियों में निवेश: समावेशन का आह्वान

सन्दर्भ

- दिव्यांग बच्चों के अनेक माता-पिता को यह मानने के लिए सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है कि उनके बच्चे निवेश के योग्य नहीं हैं, जो अंततः दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के विरुद्ध सामाजिक कलंक, हाशिए पर डालने और भेदभाव को बढ़ावा देता है।

दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के बारे में

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के अनुसार, PWD में वे लोग शामिल हैं जिनमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ मिलकर समाज में दूसरों के साथ समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी 2019 और 2021 के बीच घटकर 1% रह गई है, जबकि 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार यह 2.2% (26.8 मिलियन) थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 20% दिव्यांग व्यक्तियों में चलने-फिरने में दिव्यांगता है, 19% में देखने में दिव्यांगता है, 19% में सुनने में दिव्यांगता है और 8% में विभिन्न दिव्यांगताएँ हैं।
- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को परिभाषित किया गया है, जिसमें भाषण और भाषा दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और यहाँ तक कि एसिड अटैक पीड़ित भी सम्मिलित हैं।

दिव्यांगजनों से जुड़ी चुनौतियाँ

- शिक्षा, बुनियादी ढांचा और रोजगार:** शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में प्रायः दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सहायता तंत्र का अभाव होता है।
 - मंदी के दौर में नौकरी से निकाले जाने वालों में दिव्यांग व्यक्ति ही बलि का बकरा बनते हैं। जब कंपनियाँ लागत में कटौती के तरीके अपनाती हैं तो सबसे पहले उन्हें ही नौकर से निकाला जाता है।
- सामाजिक कलंक:** दिव्यांगता शब्द को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जा रहा है, जिसके अनुसार माता-पिता अपने बच्चों के प्रति शर्म महसूस करते हैं, तथा भय के कारण उनमें से अधिकांश सार्वजनिक रूप से सामने आने में असहज महसूस करते हैं।
- संस्थागत विफलताएँ:** भारतीय शिक्षा प्रणाली और सरकारी संस्थान दोनों ही दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यवस्था करने में एक सीमा तक विफल रहे हैं। कक्षाओं के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों में भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उचित सीटें होनी चाहिए।

- निरक्षरता विशेष रूप से दिव्यांग लोगों में प्रचलित है और इससे उन्हें दोहरी हानि होती है। दिव्यांग होने के अलावा, वे निरक्षरता के कारण अलग-थलग भी रहते हैं।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का खराब क्रियान्वयन:** दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और गैर-सरकारी नौकरियों में प्रोत्साहन का प्रावधान है, लेकिन क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दिव्यांगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- **जागरूकता और जवाबदेही की कमी:** सुगम्यता मानकों का क्रियान्वयन अव्यवस्थित रहा है। इसमें कोई निरंतरता नहीं है, बजटीय आवंटन की कमी है और निगरानी तथा संवेदनशीलता की कमी है।

दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) में निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है?

आर्थिक प्रभाव

- **वैश्विक जीडीपी को बढ़ावा:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक अध्ययन के अनुसार, अर्थव्यवस्था में दिव्यांगों को शामिल करने से वैश्विक GDP में 3% से 7% तक की वृद्धि हो सकती है। यह काफी महत्वपूर्ण है और दिव्यांगों को कार्यबल से बाहर रखने पर आर्थिक क्षमता को रेखांकित करता है।
- **उत्पादकता और नवाचार:** विविध कार्यस्थल, जिनमें दिव्यांगों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, वे अधिक नवीन और उत्पादक होते हैं। जब अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग सहयोग करते हैं, तो वे अद्वितीय दृष्टिकोण और समस्या-समाधान कौशल लेकर आते हैं।

सामाजिक न्याय और गरिमा

- **कलंक पर नियंत्रण पाना:** दिव्यांगों को विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कलंक और हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है। उनकी शिक्षा, रोजगार और समग्र कल्याण में निवेश करके, हम इन रूढ़ियों को चुनौती देते हैं और एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण करते हैं।
- **गरिमा और आत्म-सम्मान:** शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सकें। यह उनके अंतर्निहित मूल्य और क्षमता को पहचानने के बारे में है।

शिक्षा और रोजगार

- **शैक्षिक बुनियादी ढांचा:** दुर्भाग्य से, भारत के 1% से भी कम शैक्षणिक संस्थान वास्तव में दिव्यांगों के अनुकूल हैं। कई में रैंप और सुलभ शौचालय जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक दिव्यांगजनों की पहुंच के लिए समावेशी बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है।
- **रोजगार के अवसर:** 2023 की एक रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि 50 निफ्टी कंपनियों में से केवल पाँच ही 1% से अधिक दिव्यांगों को रोजगार देती हैं, जिनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ हैं। निजी और सार्वजनिक संस्थानों को दिव्यांगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

विदेश और भारत से उदाहरण

- **हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड:** अमेरिका में हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए दृढ़ सहायता प्रणाली है। वे व्यक्तिगत सहायता, आवास सुविधाएं और व्यापक संसाधन केंद्र प्रदान करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय ऐसे मॉडलों से सीख सकते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर अपना सकते हैं।
- **भारत में शिव नादर विश्वविद्यालय:** 2023 में, शिव नादर विश्वविद्यालय ने दिव्यांगता सहायता नीति शुरू की। वे प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों को उनकी स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं।

संबंधित सरकारी पहल

- **सुगम्य भारत अभियान:** सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा के अंदर सुगम्यता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण तैयार करना है। इस परियोजना में सार्वजनिक स्थानों पर रैंप, हेल्प डेस्क और सुलभ शौचालय बनाने की परिकल्पना की गई है।
- **भारत में सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देश और मानक, 2021:** ये एक सुलभ भारत और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय जनादेश को सशक्त करने की दिशा में एक सक्षम कदम हैं, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ और समावेशी भारत की परिकल्पना करना है।
- **दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग:** दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक विशेष विभाग बनाया।
- **दिव्यांग:** दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित करने और उन्हें बिना किसी हीन भावना के समाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों को दर्शाने के लिए 'दिव्यांग' शब्द गढ़ा।
- **सुगम्य भारत:** दिव्यांगजनों की समस्याओं को समझने के लिए सरकार ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों को दिव्यांगों के लिए सुलभता के मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा देता है।

- **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (UDID):** इस परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाणन को सुलभ बनाना है, साथ ही इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी को समाप्त करना है।
- **दिव्यांग कला शक्ति:** यह दिव्यांगजनों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है।
- **सहायक उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP) योजना:** इस कार्यक्रम के तहत, सरकार दिव्यांगों को सहायक उपकरण और सहायता उपकरण प्रदान करती है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों के लिए अधिक सुलभता की आवश्यकता पर बल दिया। दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे को अनिवार्य बनाने वाले वर्तमान कानूनों के बावजूद, विभिन्न स्थान अभी भी दुर्गम बने हुए हैं, और उन्होंने सरकार और निजी संस्थाओं दोनों से इन कानूनों का पालन करने और दिव्यांगों के साथ सम्मान और समानता का व्यवहार करने का आह्वान किया।

निष्कर्ष और आगे की राह

- दिव्यांगों में निवेश करना सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं है; यह एक नैतिक अनिवार्यता है। यह सिर्फ वित्तीय संसाधनों के बारे में नहीं है; यह सम्मान, समानता और अधिक समावेशी समाज में निवेश करने के बारे में है।
- प्रगति के बावजूद, विभिन्न भारतीय शहरों में पहुँच एक मृगतृष्णा बनी हुई है। इमारतों में, यहाँ तक कि टियर 1 और 2 शहरों में भी, प्रायः दिव्यांगों के लिए उचित सुविधाओं का अभाव होता है।
- सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों को दिव्यांगों के उत्थान में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। ऐसा करके, हम एक ऐसा विश्व बनाते हैं जहाँ हर किसी को अपनी क्षमताओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

Source: TH



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. दिव्यांगता के प्रति भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण दिव्यांग व्यक्तियों के अनुभवों और अवसरों को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपको लगता है कि दिव्यांग व्यक्तियों में निवेश वित्तीय और सामाजिक समावेशन दोनों में योगदान दे सकता है?